Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 21, 2015
(PHALGUNA 30, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 21st March, 2015

No. 7—HLA of 2015/16.—The Haryana School Teachers Selection Board (Repealing) Bill, 2015 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:—

Price : Rs. 5-00 (865)

Bill No. 7—HLA of 2015

THE HARYANA SCHOOL TEACHERS SELECTION BOARD (REPEALING) BILL, 2015

A

BILL

to repeal the Haryana School Teachers Selection Board Act, 2011.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Haryana School Teachers Selection Board (Repealing) Act, 2015.

Repeal and Savings of Haryana Act 21 of 2011.

2. (1) The Haryana School Teachers Selection Board Act, 2011 (21 of 2011) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken by the Board under the said Act shall not be invalidated.

(3) On such repeal, all the recommendations made by the Board under the said Act, pending with the School Education Department shall be subject to the approval of the Government.

(4) The proceedings pending before the Board, before such repeal shall stand transferred to the Haryana Staff Selection Commission.

(5) After such repeal, all the assets of the Board shall vest in the School Education Department, Haryana.

Repeal and Saving of Haryana Ordinance No. 9 of 2014.

3. (1) The Haryana School Teachers Selection Board (Repealing) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 9 of 2014), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of Haryana has been focusing on all round development of the State with special focus on human resources. In the context of fast changing scenario in school education, particularly, the enactment of Right to Children to Free and Compulsory Education Act. 2009 (RTE Act) by the Central Government, the Department cannot afford to keep posts of teachers and supervisors vacant any more. There is an added pressure to expand educational facilities in the context of implementation of RTE, Act *w.e.f.* 01.04.2010 which mandates free and compulsory education to all children of the age of 6-14 years.

Section 3(1) of the Act provides that every child of the age of 6-14 years shall have a right to free and compulsory education in neighbourhood school till completion of elementary education. Under Section 6 of Act, the duty of the State Government would be to provide schooling facilities to the children within a period of 3 years from the commencement of the Act. Not only, this the State Government is required to maintain prescribed teacher pupil ratio (1:30) at primary level and (1:35) at upper primary level. Further, where the admission of children is above 100, fulltime Head Teacher and part time instructors for Art Education, Health and Physical Education and Work Education would be also be required and so on. Under Section 26 of the Act, the Government has to ensure that the vacancies in the School shall not exceed 10% of the total.

Till recently, the recruitment of the selection of teachers for appointment to the Govt. Schools and selection of Teacher Educators, Educational Supervisor for School Education Department in the State of Haryana was being done by the Haryana School Teachers Selection Board (HSTSB), Panchkula, but the Board has failed to achieve the desired results and the recruitment process for all the posts for which the requisition were sent to Haryana School Teachers Selection Board (HSTSB) were marred in unnecessary litigation.

In the given background, there is no escape from the responsibility of keeping the posts filled up in view of the statutory requirement put on the State by the RTE Act. To address this problem, the solution lies in repealing the Haryana School Teachers Selection Board Act, 2011 and to entrust the work relating to appointment of the teachers in the Government Schools and selection of Teacher Educators, Educational Supervisor for School Education Department in the State of Haryana to the Haryana Staff Selection Commission being a professional and specialized body. This would bring about better co-ordination, cut delays in selection for filling up large number of posts failing vacant and newly created posts from time to time due to increase workload/opening of new institutions.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 21st March, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 7—एच.एल.ए.

हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) विधेयक, 2015
हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड अधिनियम, 2011, को निरसित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2011 का हरियाणा अधिनियम 21 का निरसन तथा व्यावृत्तियां।

2. (1) हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड अधिनियम, 2011 (2011 का 21) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई अविधिमान्य नहीं होगी।

(3) ऐसे निरसन पर, विद्यालय शिक्षा विभाग के पास लम्बित, उक्त अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा की गई सभी सिफारिशें सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होगी।

(4) ऐसे निरसन से पूर्व, बोर्ड के समक्ष लम्बित कार्यवाहियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अन्तरित हो जाएंगी।

(5) ऐसे निरसन के बाद, बोर्ड की सभी आस्तियां विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा में निहित होंगी।

2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9 का निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरसन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 9) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सरकार मानव संसाधनों पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे रही है। विद्यालय शिक्षा के तीव्र गति से बदलते परिदृश्य, विशेषतः केन्द्रीय सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 (आर0टी0ई0, एक्ट) बनाये जाने के फलस्वरूप विभाग अब अधिक समय तक अध्यापकों तथा शैक्षिक पर्यवेक्षकों के पद रिक्त नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त 01.04.2010 से आर0टी0ई0, अधिनियम, जिसके अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के शासनादेश लागू करने के सन्दर्भ में शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार करने की और अधिक आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 3 (1) में प्रावधान है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निकटवर्ती विद्यालय में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत, अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष के अन्दर–अन्दर बच्चों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य होगा। केवल इतना ही नहीं, राज्य सरकार को प्राथमिक स्तर पर शिक्षक–शिष्य अनुपात (1 : 30) और उच्च प्राथमिक स्तर पर (1 : 35) शिक्षक–शिष्य अनुपात रखना होगा। इसके अतिरिक्त जहां बच्चों की प्रवेश संख्या 100 से अधिक है, एक पूर्णकालिक मुख्य शिक्षक, अंशकालिक कला शिक्षक, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा एवं कार्य शिक्षा अनुदेशक व अन्य पदों पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता होगी। अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि विद्यालय में रिक्त पदों की संख्या कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

अभी तक, सरकारी विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों तथा शैक्षणिक पर्यवेक्षकों के चयन का कार्य हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड, पंचकूला द्वारा किया जा रहा था, परन्तु बोर्ड वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा है तथा जिन रिक्तियों हेतु विभाग द्वारा पदों की मांग प्रस्तुत की गई, उन सभी पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक मुकदमेबाजी हुई।

उक्त पृष्ठभूमि में, आर0टी0ई0 एक्ट द्वारा राज्य को दी गई वैधानिक आवश्यकता के मध्यनजर पदों को भरने की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। इस समस्या को दूर करने हेतु समाधान यह है कि हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड, एक्ट, 2011 को निरस्त कर दिया जाए तथा अध्यापकों, अध्यापक शिक्षकों तथा शैक्षणिक पर्यवेक्षकों के चयन का कार्य हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को व्यावसायिक एवं विशेष संस्था होने के कारण सौंप दिया जाए। इससे बेहतर समन्वय होगा, काफी बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों तथा समय–समय पर कार्यभार बढ़ने/नई संस्थाएं खुलने के कारण सृजित नए पदों को भरने में होने वाली देरी में कटौती होगी।

राम बिलास शर्मा,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 21 मार्च, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53210—H.V.S.—H.G.P., Chd.